विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग
दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग–491001

क्र. 199 दि. 30/06/2026

प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/55
दिनांक 08.05.2026

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत, डौण्डी लोहारा, जिला बालोद
बी.पी. नं. **1006402945**,
मो नं. **9589845434**

आवेदक

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., बालोद

सहायक अभियंता उपसंभाग
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., डौंडीलोहारा

अनावेदकगण

विषय :– नगर पंचायत डौण्डी लोहारा के **Water Works** हेतु स्थापित **1.5 HP** विद्युत कनेक्शन में मीटर रीडिंग एवं बिलिंग संबंधी अनियमितता के संबंध में।

आदेश

(आज दिनांक 25.06.2026 को पारित किया गया)

1. विवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अभ्यावेदन किया गया कि बी.पी. क्रमांक 1006402945 से संबंधित विद्युत कनेक्शन में मीटर रीडिंग एवं बिलिंग में अनियमितता होने के कारण त्रुटिपूर्ण विद्युत देयक जारी किए जा रहे हैं। अतः पूर्व अवधि की बिलिंग का परीक्षण कर संशोधित विद्युत देयक जारी किए जाने की प्रार्थना की गई।

फोरम द्वारा उक्त परिवाद को प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/55 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर सुनवाई प्रारंभ की गई।

2. प्रकरण पर कार्यवाही

दिनांक 19.05.2026 को प्रथम सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें आवेदक अनुपस्थित रहे तथा अनावेदकों की ओर से प्रतिनिधि उपस्थित हुआ।

प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 17.06.2026 को आयोजित की गई, जिसमें भी आवेदक अनुपस्थित रहे तथा अनावेदकों की ओर से सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता, उपसंभाग डौण्डी लोहारा उपस्थित हुए।

फोरम द्वारा अनावेदकों को निर्देशित किया गया कि प्रकरण से संबंधित संपूर्ण बिलिंग अभिलेख, विगत तीन वर्षों के बिलिंग गणना पत्रक, मीटर रीडिंग विवरण तथा मीटर परिवर्तन संबंधी अभिलेख प्रस्तुत किए जाएँ।

दिनांक 24.06.2026 को अनावेदकों द्वारा अभिलेख प्रस्तुत किए गए। प्रतिवेदन के अनुसार बी.पी. क्रमांक 1006402945 के अंतर्गत 1.5 **HP** पेयजल कनेक्शन पर पूर्व में **GENUS-S/L No- G0294877**, 5–30 A सिंगल फेज मीटर स्थापित था, जिसे कंपनी की योजना के अंतर्गत दिनांक 23.08.2025 को **GENUS Smart Meter, SL No-G3885006, 5-30A** से प्रतिस्थापित किया गया।

मीटर परिवर्तन के समय पुराने मीटर की अंतिम रीडिंग 14712 यूनिट पाई गई, जबकि बिलिंग 14506 यूनिट तक ही की गई थी। इस प्रकार 206 यूनिट की अतिरिक्त बिलिंग बाद में की गई।

प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि पुराने मीटर में पावर फैक्टर (PF) रिकॉर्ड नहीं होता था, जबकि स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात **MD** एवं **PF** का रिकॉर्ड लिया जा रहा है तथा लागू टैरिफ प्रावधानों के अनुसार PF प्रोत्साहन (Rebate) दिया जा रहा है।

3. फोरम द्वारा परीक्षण एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, मीटर डायरी, बिलिंग गणना पत्रक तथा पक्षकारों के प्रतिवेदन का परीक्षण करने पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए—

अभिलेखों से स्पष्ट है कि उपभोक्ता के पुराने मीटर की रीडिंग नियमित रूप से ली जाती रही तथा अगस्त 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया। मीटर परिवर्तन के समय दर्ज अंतिम रीडिंग एवं तत्पश्चात की बिलिंग का परीक्षण करने पर ऊर्जा खपत में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा मीटर की खराबी प्रमाणित नहीं हुई।

मीटर डायरी के परीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि पुराने मीटर में पावर फैक्टर (PF) का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। इसके बावजूद संबंधित अवधि में उपभोक्ता के विद्युत देयकों में Power Factor Surcharge लगाया गया, जो टैरिफ प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अतः ऐसी अवधि में लगाया गया PF Surcharge अनुचित एवं निरस्त किए जाने योग्य है।

बिलिंग अभिलेखों से यह भी स्पष्ट हुआ कि उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन का स्वीकृत भार 1.1 किलोवाट होने के बावजूद अनेक माह की बिलिंग में 2 किलोवाट अंकित कर स्थायी प्रभार (Fixed Charge) की गणना की गई। चूंकि नियमानुसार जून 2024 से इस श्रेणी के कनेक्शन हेतु न्यूनतम बिल योग्य भार 2 किलोवाट निर्धारित किया जाना है, अतः अतः प्रचलित टैरिफ के प्रावधानों के अनुसार जून 2024 से बाद की अवधि में 2 किलोवाट के आधार पर बिलिंग किया जाये

4. आदेश

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर फोरम निम्न आदेश पारित करता है–

1.पुराने मीटर की अवधि मे 12/2022 से 8/2025 एवं स्मार्ट मीटर लगने के पश्चात 10/2025 से 12/2025 तक पावर फैक्टर (व्व) का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था, उस अवधि में लगाए गए समस्त च्वूमत थ्बंजवत ैनतबींतहम को निरस्त करते हुए संशोधित विद्युत देयक जारी किया जाए।

2.जून 2024 की बाद की अवधि में यदि स्वीकृत भार 1.1 किलोवाट के स्थान पर 2 किलोवाट के आधार पर नही किया गया है, तो उसकी पुनर्गणना कर डिमांड सरचाज की अतिरिक्त वसूल की गई राशि समायोजित की जाए। जून 2024 से आगे की बिलिंग प्रचलित टैरिफ आदेशानुसार 2 किलोवाट के आधार पर यथावत रहेगी।

3.मीटर परिवर्तन के समय शेष 206 यूनिट की बिलिंग कंपनी द्वारा नियमानुसार की गई है। इस संबंध में किसी अतिरिक्त राहत का आधार उपलब्ध नहीं पाया गया।

4.उपरोक्त मदों में यदि उपभोक्ता से कोई अतिरिक्त राशि वसूल की गई है, तो उसे आगामी विद्युत देयकों में समायोजित किया जाए।

5.संशोधित विद्युत देयक जारी करने एवं समस्त कार्यवाही आदेश की प्रति प्राप्त होने से 30 दिवस के भीतर पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

6.यह आदेश फोरम द्वारा उपलब्ध अभिलेखों, पक्षकारों के कथनों एवं प्रचलित विद्युत टैरिफ प्रावधानों के आधार पर पारित किया जाता है।

7.प्रकरण का निराकरण उपर्युक्त आदेशानुसार किया जाता है।

8.यदि शिकायतकर्ता/आवेदक इस आदेश से असंतुष्ट हो, तो वह आदेश की प्राप्ति की तिथि से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम दुर्ग

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.व्ही. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग